

भा० कृ० अ० प०—उत्तरी शीतोष्ण द्वितीय केन्द्र
(केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसाधान संस्थान)
गड़सा, जिला कुल्लू (हि०-प्र०) 175141

F.No. 11(1)Veh./2k/Vol.II/ 6/85

दिनांक 15.07.2016

निमित्त

विषय – केन्द्र में आकस्मिक मांग के आधार रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/ट्रेक्सी मालिक से निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु लिमिटेड टेंडर/कुटेशन

भाषा दिवस

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि निदेशक, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंस्थान, अविकानगर/अध्यक्ष NTRS Garsa द्वारा केन्द्र में आकस्मिक मांग के आधार रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्टी/टेक्सी मालिक से निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु लिमिटेड टेन्डर/कुटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। जिसका विस्तृत विवरण, जानकारी, लिमिटेड टेन्डर/कुटेशन प्रपत्र, नियम व शर्ते आदि संस्थान की वेबसाइट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

अतः आप से अनुरोध है कि इच्छुक निविदा/कुटेशनदाता संस्थान की वेबसीट www.cswri.res.in से लिमिटेड टेन्डर/कुटेशन प्रपत्र डाउनलोड करते हुए वाहित अमानत राशि एवं दस्तावेजों के साथ अंतिम दिनांक 29.07.2016 को 11.00 तक जमा करा सकते हैं। प्राप्त कुटेशन को उसी दिन 12.00 बजे सामग्री अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा/कुटेशन प्रस्तूत कर्ताओं के समक्ष खोला जाएगा।

निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त लिमिटेड टेन्डरों / कुटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा और नहीं किसी भी पकार की देरी के लिए केंद्र जिम्मेदार होगा।

मवदीय
अध्यक्ष

पृष्ठि:

1. सूचना पटट ।
 2. वित्त एवं लेखा अनुभाग केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान अविकानगर राजस्थान ।
 3. प्रभारी भण्डार अनुभाग केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान अविकानगर राजस्थान ।
 4. प्रभारी ऐ0के0एम0युनिट से अनुरोध है कि उक्त लिमिटेड ट्रेन्डर / कुटेशन को संस्थान वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें ।
 5. प्रभारी वाहन अनुभाग NTRS Garsa

मा०क०अ०प०-उत्तरी शीतोष्ण केन्द्रीय केन्द्र
 (केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
 गड्सा, जिला कुल्लू (हि०-प्र०) 175141

F.No. 11(1)Veh./2k/Vol.II/

दिनांक 15.07.2016

निविदा/कुटेशन प्रपत्र

1. निविदा /कुटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय
2. निविदा / कुटेशन खोलने की अन्तिम तिथि एवं समय
3. अमानत राशी
4. निविदा /कुटेशन की मात्र्य अवधि

दिनांक 29.07.2016 दोपहर 11.00बजे तक
 दिनांक 29.07.2016 दोपहर बाद 12.00बजे
 2000/- रुपये
 120 दिन

मैं /हम केन्द्र में आकस्मिक मांग के आधार निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1-आकस्मिक मांग पर वाहन उपलब्ध कराने की दर :-

AC (Seven seater)

| S. No. | Description | TATA/Scorpio/Bolero/Ignova |
|--------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Rate per Kilometer (Rs. Per km) | |
| 2. | Minimum charges for 100 km running | |
| 3. | Out Station per night charges | |
| 4. | Vehicle Registration No. | |
| 5 | Registration year | |

नोट:- लिमिटेड टेप्डर/कुटेशन रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक द्वारा ही भरी जाना चाहिए एवं आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन का मैक वर्ष 2012 या इसके बाद का होना चाहिए।

मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। यदि मेरे/हमारे प्रतिनिधियों द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तों या किसी आंशिक भाग का पालन नहीं किया जाता है। तो मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई/जमानत राशि जब्त करने के लिए राहमत है।


मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है। जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हूँ।

फर्म /टेक्सी मालिक का नाम मय पता
 पूरा पता
 पैन नं
 मोबाइल नं.....

नियम ५ शर्ती

10. यात्री विश्राम भत्ता/प्रचार मुख्यालय से प्रस्थान करने के छः घन्टे के पश्चात देय होगा। बेशर्ते वाहन का ठहराव रात्रि को मुख्यालय से बाहर हो। लगातार चलती गाड़ी में रात्रि विश्राम नहीं दिया जाएगा।
11. वाहन के रखरखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल, मरम्मत व साधरण टोल टेक्स सभी प्रकार के व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा। केन्द्र द्वारा निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/केन्द्र द्वारा उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
13. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया ता भूगतान संभव नहीं होगा।
14. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबन्ध की अवधि से पूर्व अपना वाहन रवेक्षा से हटाया जा सकता है। तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी। लेकिन पिछली अवधि में उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही उसकी अमानत/जमानत राशि लौटायी जाएगी।
15. निविदा प्रक्रिया में सफल रहने पर 7 दिन में वाहन मालिक द्वारा 100/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर केन्द्र के साथ अनुबन्ध करना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। वाहन मालिक द्वारा 3 प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह उचित समयवधि में बिल का भूगतान नियमनुसार किया जाएगा।
16. यदि फर्म की सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
17. यह संविदा अनुबन्ध आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
18. आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/टेक्स की कटौती ठेकेदार के बिल/बिलों में से नियमनुसार की जाएगी।
19. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचारण पाये जाने पर तथा फर्म/ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर केन्द्र तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा। इस संबंध में केन्द्र द्वारा वाहन मालिक को कोई हजारिना देय नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मध्यपान की स्थिति में नियमनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी।
20. दरें अकों एवं शब्दों दोनों में लिखि जायेगी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नहीं की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखि हुई होगी। उस पर लघु हुई होगी। उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर की हस्ताक्षर करने होंगे।
21. समान दरें आने पर नवीनतम वर्ष के मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्र के समक्ष अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा (विधिक)लीगल वाद में न्यायिक क्षेत्राधिकारी कुल्लू होगा।
23. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त विधिक (समहमस) एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निरवाहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
24. नियोजित वाहन चालक के संबंध में प्रचलित श्रम कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/ठेकेदार का होगा।
25. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त/स्वत्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण –पत्र देय परिवहन विभाग के टेक्स चुका कर रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे।
26. सेवा कर सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि निविदादाता सेवा कर प्रदाय करने की रीमा में नहीं आता है तो फर्म के लैटर हैड पर इस आशय की स्वयं के द्वारा घोषण पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
27. टेन्डर की वैधता इनको खोलने की तिथि से 120 दिन तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता की दरे अनुमोदित की जायेगी। उसे उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समरत स्थितियों की सावधनीपूर्वक जाँच कर लेनी चाहिए।
28. फर्म द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपकरणों से प्रतिबिंधत /ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा) संलग्न किया जाना आवश्यक है।
29. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में केन्द्र के अधिकारियों /कर्मचारियों को केन्द्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाहन गालिक की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।
30. यह अनुबंध/संविधा कार्य (Work Contract) Basis कार्य आधार पद्धति पर आवंटित किया जाएगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का केन्द्र से कोई नहीं रहेगा।
31. किसी भी निविदा को सम्पूर्ण अथवा आंशिक किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समक्ष अधिकारी महोदय को सुरक्षित है।



अध्यक्ष

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निविदा में दशार्थी गई सभी नियम शर्तों को भलीभांति व अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे निविदा में दशार्थी गई सभी नियम व शर्तें स्वीकार हैं। तथा मैं इनका पूर्ण रूप से पालन करूँगा।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता

नाम.....

पता.....